

दिल्ली-एनटीआर, हरियाणा और राजस्थान में उग्रले दो घंटों में बारिश की संभावना, अलर्ट जारी

नई दिल्ली। दिव्य-पनखोर सहित हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले दो घंटों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही हल्की गरज और बिजली चमकने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान जताया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मुराहम और मानेसर में बारिश की संभावना है। हरियाणा के हिसार, हंसी, सिवाही, मह्य, जोगाम, रोहताक, भिवानी और चरखी दरौरी में भी बारिश हो सकती है। पतानहेल, झंजर, फरेंखनगर, कोसली, रेवाड़ी और नूंह भी प्रभावित होंगे। राजस्थान के पिंवाड़ी और खैरतल में भी मौसम बदलेगा।

सक्षम भारत

बहुजन हिताय!

बहुजन सुखाय!



राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat.net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 213 ● नई दिल्ली ● बुधवार 10 जून 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनापारिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

15 लाख लोगों को राहत की उम्मीद, 92 कॉलोनियों को ओ-जोन से हटाने की मांग पर एलजी से मिले बीजेपी सांसद



नई दिल्ली। दिल्ली के 92 कॉलोनियों और दर्जनों प्राचीन गांवों को ओ-जोन से बाहर करने की मांग एक बार फिर चर्चा में आ गई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और रामवीर सिंह बिभूड़ी ने मंगलवार (9 जून) को उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु से मुलाकात कर इस मुद्दे पर जल्द फैसला देने का आग्रह किया। सांसदों का दावा है कि वर्षों से लंबित इस मामले के कारण करीब 15 लाख लोग अनिश्चिंतता और कार्रवाई के डर के बीच जीवन गुजार रहे हैं। उपराज्यपाल को सीपीए ज्ञापन में सांसदों ने कहा कि संबंधित गांवों और कॉलोनियों को 24 मार्च 2008 को नियमित किया जा चुका था। उस समय ये इलाके F Zone के अंतर्गत

आते थे। लेकिन अगस्त 2010 में उन्हें यमुना के ओ-जोन में शामिल कर दिया गया, जिसके बाद से विवाद शुरू हुआ। सांसदों के अनुसार, स्थानीय लोगों के विरोध के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 28 सितंबर 2013 को इन क्षेत्रों को ओ-जोन से हटाने के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया था। हालांकि, एक NGO की याचिका के बाद राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। बीजेपी सांसदों ने कहा कि जिस याचिका के आधार पर रोक लगी थी, उसका निपटारा जनवरी 2015 में हो चुका है। इसके बावजूद गांवों और कॉलोनियों को ओ-जोन से बाहर करने का अंतिम निर्णय अब तक

नहीं लिया गया। इससे लाखों लोगों में असमंजस और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। मुलाकात के दौरान सांसदों ने उपराज्यपाल को बताया कि पूर्व उपराज्यपाल भी इन क्षेत्रों को ओ-जोन में शामिल किए जाने के फैसले को गलत बता चुके हैं। इसके अलावा DDA के तत्कालीन उपाध्यक्ष ने भी माना था कि गांवों की आबादी का भूमि उपयोग आवासीय श्रेणी का है। इसके बावजूद कई इलाकों में तोड़फोड़ और कार्रवाई की शिकायतें सामने आती रही हैं। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक संबंधित कॉलोनियों यमुना नदी से काफी दूर स्थित हैं। वहीं केंद्र सरकार की विशेषज्ञ समिति भी यह निष्कर्ष दे चुकी है कि इन बस्तियों से न तो यमुना के बहाव पर असर पड़ता है और न ही नदी के पानी की गुणवत्ता प्रभावित होती है। मनोज तिवारी और रामवीर सिंह बिभूड़ी ने उपराज्यपाल से मांग की कि 2013 में जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को लागू कर इन गांवों और कॉलोनियों को ओ-जोन से बाहर किया जाए। उनका कहना है कि ऐसा होने पर करीब 15 लाख लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और वर्षों से चला आ रहा विवाद समाप्त हो सकेगा।

संजीव अरोड़ा के घर छापेमारी, अरविंद केजरीवाल बोले- पंजाब में हिंदू व्यापारियों को निशाना बना रही ईडी



नई दिल्ली। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता और राय सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा के घर प्रवर्तन निदेशालय के यहां छापेमारी के बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस मामले में दावा किया कि पंजाब में हिंदू व्यापारियों को निशाना बनाया जा रहा है। आप के संयोजक ने कहा- ईडी पार्टी आज फिर पंजाब के हिंदू व्यापारियों पर ईडी की रेड कर रही है। ईडी पार्टी पंजाब के छोटे छोटे हिंदू व्यापारियों को तंग कर रही है। उन्होंने लिखा कि मेरी सभी व्यापारियों से अपील है - बचराने की कोई बात नहीं है, पूरा पंजाब और पंजाब सरकार आपके साथ है, हम सब मिलकर ईडी पार्टी का मुकाबला

करेंगे। आप संयोजक के बयान को रिपोस्ट करते हुए पंजाब से सीएम भगवंत मान ने भी प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा- पंजाब के हिंदू व्यापारी हमारे राय के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी हैं और रंगला पंजाब बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। ईडी पार्टी सेंट्रल एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके हमारे व्यापारियों को परेशान करना चाहती है। ऐसा करके वे राजनीतिक दबाव डालकर उन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको पंजाबी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने व्यापारियों के साथ खड़े हैं। बता दें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मोबाइल फोन की बिक्री से संबंधित

कथित 100 करोड़ रुपये के जीएसटी घोखाधड़ी के सिलसिले में पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा और कुछ अन्य लोगों से जुड़े घन शोधन मामले में मंगलवार को नए सिरे से छापेमारी की कार्रवाई की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि पंजाब के जलंधर और लुधियाना तथा उत्तर प्रदेश के बरेली और नोएडा में लगभग छह परिसरों पर छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिस परिसरों पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है उनमें अरोड़ा से जुड़ी कंपनी 'हेमपटन स्काई रियल्टी लिमिटेड' के मामले में जांच के दायरे में आए व्यक्तियों और संस्थाओं से संबंधित आवास और व्यावसायिक कार्यालय दोनों शामिल हैं। अरोड़ा (62) को पिछले महीने चंडीगढ़ स्थित उनके आधिकारिक आवास पर दिनभर की छापेमारी के बाद केंद्रीय एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। अरोड़ा पंजाब में विद्युत, उद्योग और वाणिज्य मंत्री थे। अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने उनके विभागों को अन्य मंत्रियों को आवंटित कर दिया था।

पकड़ा गया मंत्रालय के ट्रेनिंग अफसर का झूठ, फर्जी एक्सपीरियंस लेटर से हासिल की नौकरी; कोर्ट में खुली पोल

नई दिल्ली। राजन एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने फर्जी अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने के मामले में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अधीन कार्यरत प्रशिक्षण अधिकारी गौरव मलिक को दोषी करार दिया। अदालत ने कहा कि आरोपित ने जिस कंपनी में वर्ष 1993 से कार्य करने का दावा किया था, उस कंपनी का गठन ही वर्ष 1995 में हुआ था। ऐसे में अनुभव प्रमाणपत्र में किया गया दावा सही नहीं पाया गया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मयंक गोयल ने अपने फैसले में गौरव मलिक को घोखाधड़ी, जाली दस्तावेज के इस्तेमाल और साक्ष्य मिटाने से संबंधित धाराओं में दोषी ठहराया।

हालांकि, अदालत ने जालसाजी की धारा के आरोप से उसे बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपित ने प्रशिक्षण अधिकारी (व्यावसायिक सेवाएं) पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करते समय कृष्णा इंजीनियरिंग कंपनी, भोपाल का अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था। प्रमाणपत्र में दर्शाया गया था कि वह 10 मार्च 1993 से कंपनी में सेल्स मैनेजर के रूप में कार्यरत था। इसी अनुभव के आधार पर उसका चयन हुआ और उसे सरकारी नौकरी मिल गई। यूपीएससी के तत्कालीन उप सचिव ने गवाही में बताया कि उम्मीदवारों के आवेदन की छंटनी के बाद उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था और उसी प्रक्रिया में गौरव मलिक का चयन हुआ। मामले की सुनवाई के दौरान कृष्णा इंजीनियरिंग

कंपनी के साझेदार राकेश अग्रवाल ने अदालत में गवाही देते हुए कहा कि गौरव मलिक कभी उनकी कंपनी का कर्मचारी नहीं रहा। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी की स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी। अदालत ने माना कि जब कंपनी का अस्तित्व ही वर्ष 1995 से पहले नहीं था तो वर्ष 1993 से उसमें नौकरी करने का दावा विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि नियुक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया मूल अनुभव प्रमाणपत्र आरोपित के कब्जे में था। जांच एजेंसी द्वारा कई अवसर दिए जाने के बावजूद वह मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। अदालत ने कहा कि आरोपित की ओर से दस्तावेज उपलब्ध न कराया जाना उसके खिलाफ परिस्थितिजन्य साक्ष्य

के रूप में सामने आता है। फैसले में अदालत ने कहा कि रिकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेज और मौखिक साक्ष्य यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि आरोपित ने अनुभव प्रमाणपत्र का इस्तेमाल कर नौकरी प्राप्त की और बाद में उससे जुड़े साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। मामले में दोषसिद्धि के बाद अब अदालत सजा के बिंदु पर आरोपित की दलीलें सुनेगी। वर्ष 1998 में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया के तहत साक्षात्कार के बाद यूपीएससी ने जनवरी 2000 में गौरव मलिक के नाम की सिफारिश की थी। इसके बाद जनवरी 2001 में उसे प्रशिक्षण अधिकारी पद पर नियुक्ति मिल गई थी।

लुटियंस दिल्ली में पोलो ग्राउंड खाली कराने के नोटिस पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- दिल्ली का दम घुट जाएगा

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी की बची-खुची हरियाली को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अगर इसी तरह खुले और हरे-भरे क्षेत्रों को खत्म किया गया तो दिल्ली का दम घुट जाएगा। मामला लुटियंस दिल्ली स्थित ऐतिहासिक इंडियन पोलो एसोसिएशन के मैदान और अन्य प्रमुख संपत्तियों को केंद्र सरकार द्वारा अपने कब्जे में लेने से जुड़ा है। सरकार ने दावा किया है कि इन जमीनों की जरूरत रक्षा ढांचे को मजबूत करने और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यों के लिए है। दिल्ली हाईकोर्ट में मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने राजधानी में लगातार घटते हरित क्षेत्रों पर गंभीर चिंता जताई। अदालत ने कहा कि दिल्ली पहले ही प्रदूषण और भीड़भाड़ की मार झेल रही है और अब एनडीएमसी इलाके में बची हुई थोड़ी-बहुत खुली जगह भी खत्म की जा रही है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा दिल्ली का दम घुट जाएगा। अगर आप इसी तरह दिल्ली को चलाना चाहते हैं तो भगवान ही हम सबकी रक्षा करें। हाईकोर्ट ने यह सवाल भी उठाया कि क्या सरकार इस इलाके में ऊंची-ऊंची इमारतें बनाने की योजना बना रही है। अदालत ने कहा एनडीएमसी क्षेत्र में लोगों को सांस लेने के लिए जो थोड़ी खुली जगह मिलती है, वह भी खत्म होती जा रही है। ऐसे में हम सभी का दम घुटने लगेगा।

134 साल पुरानी संस्था को खाली करने का नोटिस इंडियन पोलो एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1892 में हुई थी उसको हाल ही में बेदखली का नोटिस मिला है। यह मैदान प्रधानमंत्री आवास के सामने स्थित है। इसके खिलाफ एसोसिएशन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह बेदखली नोटिस पर रोक लगाने की मांग पर जल्द फैसला करे। इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होने की संभावना है। दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से पेश बकील ने कोर्ट को बताया कि जमीन की आवश्यकता सार्वजनिक हित, प्रशासनिक कार्यों और रक्षा संबंधी जरूरतों के लिए है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल दिल्ली में मौजूद जमीन सीमित है लेकिन सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों का संचालन भी इसी क्षेत्र से करना पड़ता है। जिम खाना क्लब को लेकर भी मामला पहुंचा था कोर्ट गौरतलब है कि हाल ही में दिल्ली जिमखाना क्लब की जमीन को लेकर भी ऐसा ही विवाद सामने आया था। सरकार ने वहां की जमीन को भी सार्वजनिक और प्रशासनिक जरूरतों के लिए जरूरी बताया था। फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने IPA की याचिका का निपटारा करते हुए निचली अदालत को बेदखली नोटिस पर रोक लगाने की मांग पर जल्द फैसला करने का निर्देश दिया है।

दिल्ली के जीके-1 एन्क्लेव में इमारत की चौथी मंजिल पर लगी आग

नई दिल्ली। दिल्ली के जीके-1 एन्क्लेव में एक इमारत की चौथी मंजिल पर मंगलवार को आग लगने के बाद दमकल की कई गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। दिल्ली अग्नि शमन सेवा (डीएफएस) ने यह जानकारी दी। डीएफएस के अनुसार, पूर्वाह्न करीब साढ़े 11 बजे एसी में आग लगने की सूचना के बाद शुरू में



दमकल की दो गाड़ियों को मौके भेजा गया और बाद में दमकल की छह और गाड़ियां व एक बहुउद्देश्यीय वाहन भेजा गया। अधिकारियों ने बताया कि आग मुख्य रूप से चौथी मंजिल में धरेलू सामान में लगी थी। उन्होंने बताया कि घटना से जुड़े अन्य विस्तृत विवरण की अभी प्रतीक्षा है।

समय बदल गया है, शादी से पहले सेक्स चरित्र आंकने का आधार नहीं - सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। क्या दो अविवाहित बालिगों के बीच आपसी सहमति से बने रिश्ते का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के चरित्र पर सवाल उठाने के लिए किया जा सकता है? क्या बिना शादी के खतम होने वाले रिश्ते को अपने आप में एक घोखा माना जा सकता है? इन दोनों गंभीर सवालों का जवाब देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ तौर पर नहीं में दिया है। सरकारी भर्ती से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा वैधानिक फैसला सुनाया है, जो कानून, समाज और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दायरे में दूरगामी असर डलेगा। ऐसे समय में जब शादी से पहले के रिश्तों को समाज में अब भी रूढ़िवादी नजरिए

से देखा जाता है, देश को सबसे बड़ी अदालत ने स्पष्ट किया है कि दो बालिगों के बीच आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंध को किसी के चरित्र को आंकने का पैमाना नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने सिर्फ इसलिए गलत काम का अनुमान लगाने की प्रवृत्ति के खिलाफ भी चेतावनी दी कि कोई रिश्ता आखिरीकर टूट गया। जस्टिस मनमोहन और मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा, दो बालिगों के बीच आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंध को उस रिश्ते में शामिल व्यक्ति के चरित्र के बारे में गलत राय बनाने का आधार नहीं बनाया जा सकता और न ही बनाया जाना चाहिए। ऐसा कोई कानून नहीं है जो दो बालिगों को अपनी परसंद का

रिश्ता बनाने से रोकता हो। यह जानकारी बार एंड बेंच ने दी है। ये बातें तब सामने आईं जब कोर्ट तेलंगाना के पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती उम्मीदवार गजुला थिरुपति के मामले की सुनवाई कर रहा था। उनका चयन इसलिए रद्द कर दिया गया था क्योंकि एक दशक से भी पहले एक पड़ोसी के साथ रिश्ते से जुड़े एक आपराधिक मामले के कारण उन पर आरोप लगे थे। लेकिन यह फैसला सिर्फ यह तय करने से कहीं आगे का था कि क्या कोई उम्मीदवार सरकारी नौकरी का हकदार है या नहीं। बेंच ने एक ऐसे सवाल पर गौर किया जो कानून, समाज और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच अक्सर उठता है- क्या बालिगों को आपसी

सहमति से बने उन रिश्तों के लिए सजा दी जानी चाहिए जो शादी में नहीं बदलते? कोर्ट ने संकेत दिया कि इसका जवाब नहीं है। फैसले में कहा गया, हर रिश्ता शादी में नहीं बदलता। इसलिए, सिर्फ इसलिए कि रिश्ता शादी में नहीं बदला, यह मानने का कोई आधार नहीं है कि एक पक्ष ने दूसरे को घोखा दिया है। यह बात बार एंड बेंच ने बताई है। कोर्ट ने माना कि सामाजिक सचाई बदल गई है और लोगों के आचरण का आकलन करते समय अधिकारी इन बदलावों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बेंच के अनुसार, शादी से पहले के रिश्ते आज के समाज की सचाई हैं और संस्थानों को पुरानी सोच पर आधारित कठोर धारणाओं पर निर्भर

रहने के बजाय बदलते समय के प्रति स्वेदनशील होना चाहिए। इस फैसले के सबसे अग्रिम हिस्सों में से एक में जजों ने कहा कि जब दो बालिग लोग काफी समय तक रिश्ते में रहते हैं, तो यह माना जाता है कि वह रिश्ता आपसी सहमति से बना था। बेंच ने कहा, इसके अलावा, जब ऐसा रिश्ता काफी समय तक चलता है, जैसे कि कुछ साल, तो इस कोर्ट ने बार-बार उन आपराधिक मामलों को रद्द किया है जो एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के खिलाफ इस शिकायत पर शुरू किए थे कि पीड़ित को शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाने के लिए बहलाया-फुसलाया गया था।

रहने के बजाय बदलते समय के प्रति स्वेदनशील होना चाहिए। इस फैसले के सबसे अग्रिम हिस्सों में से एक में जजों ने कहा कि जब दो बालिग लोग काफी समय तक रिश्ते में रहते हैं, तो यह माना जाता है कि वह रिश्ता आपसी सहमति से बना था। बेंच ने कहा, इसके अलावा, जब ऐसा रिश्ता काफी समय तक चलता है, जैसे कि कुछ साल, तो इस कोर्ट ने बार-बार उन आपराधिक मामलों को रद्द किया है जो एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के खिलाफ इस शिकायत पर शुरू किए थे कि पीड़ित को शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाने के लिए बहलाया-फुसलाया गया था।

पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा- दो दिनों में 20,921 अभ्यर्थी अनुपस्थित

गोरखपुर।

जनपद में उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा 8 जून से शुरू होकर 10 जून तक आयोजित की जा रही है। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह मुस्तैद हैं। बावजूद इसके, पहले दो दिनों में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति ने प्रशासन का ध्यान खींचा है। आंकड़ों के अनुसार, पहले दिन कुल 38,928 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी, जिनमें से 28,237 ही उपस्थित

पहले दिन 10,691, दूसरे दिन 10,230 ने छोड़ी परीक्षा; प्रशासन सख्त, सुरक्षा चाक-चौबंद

हूए, जबकि 10,691 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। प्रथम पाली में 19,464 में से 14,037 उपस्थित और 5,427 अनुपस्थित रहे। वहीं द्वितीय पाली में 14,200 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 5,264 गैरहजरि रहे। दूसरे दिन भी अनुपस्थिति का सिलसिला जारी रहा। प्रथम पाली में 19,464 में से



14,316 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए और 5,148 अनुपस्थित रहे। वहीं द्वितीय पाली में 19,464 में से 14,382 अभ्यर्थियों उपस्थित हुए, जबकि 5,082 ने

परीक्षा नहीं दी। इस तरह दूसरे दिन कुल 10,230 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। दो दिनों की चार पालियों को मिलाकर कुल 20,921 अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति दर्ज की गई है, जो

एक बड़ी संख्या है। प्रशासन इस पर नजर बनाए हुए है। गौरतलब है कि जनपद में इस परीक्षा के लिए 44 केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक पाली में 19,464 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तीन दिनों में कुल 6 पालियों के माध्यम से 1,16,784 अभ्यर्थियों के परीक्षा देने का कार्यक्रम निर्धारित है। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू है। प्रवेश के दौरान सघन जांच, सीसीटीवी निगरानी और पुलिस बल की तैनाती की गई है। अभ्यर्थियों को समय से पहले केंद्र पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं यातायात व्यवस्था को

सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष टैफिक प्लान भी लागू किया गया है। डीआईजी, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एडीएम सिटी और एसपी सिटी सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और केंद्र व्यवस्थापकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। प्रशासन का कहना है कि परीक्षा पूरी पारदर्शिता और सख्ती के साथ कराई जा रही है। पहले दो दिन परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है, और शेष पालियों के लिए भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।

गोरखपुर की कोच रीता मिश्रा ने नाम किया रोशन

9वीं सीनियर नेशनल इंदौर हॉकी चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने दिखाया शानदार खेल



गोरखपुर। गोरखपुर की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी एवं कोच रीता मिश्रा ने एक बार फिर जनपद का नाम रोशन किया है। उनके कुशल प्रशिक्षण और मार्गदर्शन में टीम ने 9वीं सीनियर नेशनल इंदौर हॉकी चैंपियनशिप 2026, बड़ौदा मुजरात में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए खेल प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया। प्रतियोगिता में टीम ने गोवा के विरुद्ध

0-0 से मैच ड्रॉ खेला, जबकि तेलंगाना के खिलाफ 7-0 से शानदार जीत दर्ज कर अपने दमदार प्रदर्शन का परिचय दिया। खिलाड़ियों ने मैदान में अनुशासन, आत्मविश्वास, तालमेल और संघर्ष क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन किया। टीम की गोलकीपर मुशकान ने शानदार बचाव करते हुए विपक्षी टीमों के हमलों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वहीं फुल बैक पॉक में कोयलेता, अश्रीता टोपो, अनिता एका, योति शर्मा, पूनम पासवान और शकुंतला राव ने मजबूत रक्षण का परिचय दिया। फारवर्ड लाइन में प्रेमलता सिंह, रश्मि सिंह, पम्मी और फरजाना ने तेज और आक्रामक खेल दिखाते हुए टीम की जीत में अहम योगदान दिया। कोच रीता मिश्रा ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि टीम ने पूरे समर्पण, अनुशासन और एकजुटता के साथ खेला है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले मुकामलों में भी खिलाड़ी इसी जोश और लगन के साथ बेहतर प्रदर्शन करेंगी। गोरखपुर की कोच रीता मिश्रा के नेतृत्व में टीम के इस शानदार प्रदर्शन से जिले के खेल जगत में खुशी की लहर है। खेल प्रेमियों ने टीम और कोच रीता मिश्रा को आगामी मुकामलों के लिए शुभकामनाएं दी हैं।

तहसील सभागार में लगी जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी



कप्तानगंज (कुशीनगर)।

केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मंगलवार को कप्तानगंज तहसील सभागार में विकास, सुरासन, सेवा एवं जनकल्याण विषयक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ रामकोला विधायक विनय प्रकाश गोड एवं मुख्य विकास अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव ने फीता काटकर किया। प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों

द्वारा केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों को स्टॉल के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। इस दौरान विधायक विनय प्रकाश गोड ने कहा कि केंद्र सरकार ने बीते 12 वर्षों में गरीब, किसान, महिला, युवा एवं मजदूर वर्ग के हित में अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की हैं, जिनका

लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य विकास के साथ-साथ आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मुख्य विकास अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव ने प्रदर्शनी का निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों से योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को योजनाओं के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदर्शनी में तहसीलदार चंदन शर्मा, नायब तहसीलदार एकता त्रिपाठी, वीडीओ अमरनाथ पांडेय, चेयरमैन प्रतिनिधि विजय खेतन, राधेश्याम दीक्षित, सुपरवाइजर मनीष सिंह समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेज, जिला स्टेडियम में योग प्रशिक्षकों को कराया गया प्रोटोकॉल अभ्यास



कुशीनगर। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन को लेकर जिला स्टेडियम कुशीनगर में योग प्रशिक्षकों के लिए विशेष अभ्यास सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में योग प्रशिक्षकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रोटोकॉल के तहत निर्धारित योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान की विधियों का प्रशिक्षण दिया गया। अभ्यास सत्र का संचालन मास्टर योग ट्रेनर अभय रंजन मिश्र द्वारा किया गया। उन्होंने योग वैलनेस सेंटर एवं हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर से जुड़े प्रशिक्षकों को योग दिवस प्रोटोकॉल का विस्तृत अभ्यास कराते हुए विभिन्न योग क्रियाओं के सही तरीके एवं उनके महत्व की जानकारी दी। इस अवसर पर क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ. जगदीश यादव ने कहा कि योग दिवस के अवसर पर अधिक से अधिक लोगों को योग से जोड़ने तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने प्रशिक्षकों से अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को नियमित योगाभ्यास के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। जिला कार्यक्रम प्रबंधक विशाल सिंह ने कहा कि योग को जन-जन तक पहुंचाने के लिए 15 से 20 जून तक जनपद के सभी ब्लॉकों एवं तहसीलों में प्रतिदिन योग शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने प्रशिक्षकों से अधिकाधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कर योग के लाभों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आग्रह किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रशिक्षकों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया तथा नियमित योगाभ्यास के माध्यम से स्वस्थ एवं जागरूक समाज के निर्माण का संकल्प लिया। इस अवसर पर जिला होम्योपैथिक अधिकारी डॉ. धर्मेन्द्र कुमार, जिला व्यायाम शिक्षक अनिल मिश्र सहित अन्य अधिकारी एवं योग प्रशिक्षक उपस्थित रहे।

खेत की खुदाई में निकले कथित मुगलकालीन चांदी के सिक्के, कुशीनगर के अझवलिया गांव में उमड़ी भीड़

कुशीनगर।

जनपद के तरयासुजान थाना क्षेत्र के अझवलिया गांव में खेत की खुदाई के दौरान कथित रूप से पुराने चांदी के सिक्के मिलने की सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। खबर फैलते ही मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए और पूरे इलाके में यह चर्चा का प्रमुख विषय बन गया। जानकारी के अनुसार, सोमवार शाम करीब चार बजे गांव के एक खेत में मिट्टी खनन का कार्य चल रहा था। इसी दौरान जमीन के भीतर से कुछ पुराने



सिक्रेनुमा धातु के टुकड़े मिलने की बात सामने आई। प्रत्यक्षदर्शियों और ग्रामीणों का दावा है कि बरामद सिक्के काफी पुराने हैं तथा संभवतः

मुगलकाल से संबंधित हो सकते हैं। हालांकि इस संबंध में अभी तक किसी विशेषज्ञ संस्था अथवा प्रशासन द्वारा आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सूचना मिलते ही तरयासुजान पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी जुटाई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सिक्कों की संख्या, उनकी वास्तविकता तथा ऐतिहासिक महत्व के संबंध में जांच कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों की राय भी ली जा सकती है। उभर, कथित प्राचीन चांदी के

सिक्के मिलने की खबर से आसपास के गांवों में भी उत्सुकता का माहौल है। ग्रामीणों के बीच सिक्कों की उत्पत्ति और उनके ऐतिहासिक महत्व को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने तथा जांच पूरी होने तक किसी निष्कर्ष पर न पहुंचने की अपील की है। फिलहाल पूरा मामला जांच के दायरे में है और अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि बरामद वस्तुएं वास्तव में ऐतिहासिक महत्व के सिक्के हैं या नहीं।

संदिग्ध परिस्थितियों में मिले शव के मामले ने पकड़ा तूल, परिजनों ने शव रखकर किया सड़क जाम

कुशीनगर। पड़रौना कोतवाली क्षेत्र के खिरकिया स्थान बाजार में संदिग्ध परिस्थितियों में मिले शव के मामले ने मंगलवार को तूल पकड़ लिया। पोस्टमार्टम के बाद मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया तथा पड़रौना-बांसी मुख्य मार्ग को करीब दो घंटे तक जाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि मृतक की हत्या कर शव को फेंका गया है, जबकि पुलिस मामले को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रही है। प्रदर्शनकारी पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। बताया जा रहा है कि काफी



समझाने-बुझाने और प्रशासनिक प्रयासों के बावजूद उग्र ग्रामीण सड़क से हटने को तैयार नहीं हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के

खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बाद में ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग से शव हटाकर गांव के संपर्क मार्ग पर रखकर विरोध प्रदर्शन जारी रखा। घटना की सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा परिजनों को उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। हालांकि समाचार लिखे जाने तक ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई किए जाने की बात कह रही है। घटना को लेकर क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है।

